253

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

निगरानी- 4068/2018/टीकमगढ़/भू० रा

1. चन्द्रभान पुत्र श्री गौरीशंकर आयु-40 वर्ष
2. गजराज पुत्र श्री गौरीशंकर आयु- 34 वर्ष, निवासीगण- ग्राम अतरार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, म0प्र0

--आवेदकगण

बनाम

खूबचन्द्र पुत्र श्री घनश्याम यादव आयु- 40 वर्ष, निवासी- ग्राम अतरार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आलोच्य आदेश दिनांकी 11/06/2018 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, जिसके द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 0089/अ-12/2017-18 में निगरानीकर्तागण/आवेदकगण को बिना किसी सूचना के प्रतिवेदन स्वीकार कर निगरानीकर्तागण की भूमि के सम्बन्ध में अनावेदक का आधिपत्य का अधिकार अवैधानिक रूप से माना जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदकगण ग्राम अतरार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ के निवासी होकर ग्राम अतरार में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 41/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4068/2018/टीकमगढ़/भू.रा. चन्द्रभान विरूद्ध खूबचन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील पलेरा के प्रकरण क्रमांक 89/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी पलेरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी पलेरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. पॉन) सदस्य	18/2/2019